सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा–4(1)(बी) की मद संख्या 1 से 17 तक से संबधित बिन्दुओं पर टिप्पणी

बिन्दु–1: अपने संगठन की विशिष्टियां कृत्य और कर्त्तव्य

[26 ख परिषद का संगठन– (1) परिषद में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अध्यक्ष के अतिरिक्त निम्नलिखित अन्य सदस्य होंगे, अर्थात–

(क) कृषि उत्पादन आयुक्त उत्तर प्रदेश शासन यदि वह अध्यक्ष न हो,
(ख) सचिव, उत्तर प्रदेश शासन , वित्त विभाग,
(ग) सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, खाद्य तथा रसद विभाग,
(घ) राज्य सरकार के कृषि विभाग का सचिव या जहॉ उक्त विभाग के लिए कोई पृथक सचिव न हो, वहॉ उक्त विभाग का, यथास्थिति विशेष सचिव या संयुक्त सचिव,
(ड.) रजिस्ट्रार, सहकारी समितियॉ, उत्तर प्रदेश,
(च) कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश
(च–1) कृषि विपणन सलाहकार, भारत सरकार,
(च–2) निदेशक, उद्यानिकी एवं फलोपयोग, उत्तर प्रदेश,
(च–3) निदेशक कृषि विपणन उत्तर प्रदेश,
(च–4) उत्तर प्रदेश कृषि एवं औद्यौगिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 के अधीन स्थापित किसी विश्वविद्यालय का कुलपति जो राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जायेगा।
(छ) राज्य सरकार द्वारा ऐसे उत्पादकों में से जो मण्डी समितियों के सदस्यों के रूप में नाम निर्दिष्ट, हों, नियुक्त व्यक्ति और जब तक कि ऐसे [नाम निर्दिष्ट], सदस्य उपलब्ध न हों, उक्त सरकार द्वारा नियुक्त कोई तीन उत्पादक,
(ज) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त दो व्यक्ति जो व्यापारियों अथवा आढ़तियों में से मण्डी समिति के सदस्य के रूप में [नाम निर्दिष्ट], हों और जब तक कि ऐसे [नाम निर्दिष्ट], सदस्य उपलब्ध न हों उक्त सरकार द्वारा नियुक्त कोई दो व्यापारी अथवा आढ़ती,
(झ) मण्डी निदेशक, जो परिषद् का पदेन सचिव होगा जिसे एतद्पश्चात् इस अध्याय में सदस्य सचिव अभिदिष्ट किया गया है,

कृषि मण्डियों के विकास पर एक बिहंगम दृष्टि

वर्ष 1964 में ''उ.प्र. कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम'' पारित किया गया ताकि परम्परागत कृषि मण्डियों में व्याप्त कुरीतियों, गैर कानूनी कटौतियों और बिचौलियों के अनुचित प्रभाव को समाप्त कर कृषि विपणन की स्वस्थ परम्पराओं की स्थापना की जा सके। इस अधिनियम के अन्तर्गत विनियमित मण्डियों के गठन का कार्य प्रारम्भ किया गया। वर्ष 1965–66 तक प्रदेश में विनियमित मण्डियों की संख्या मात्र 2 थी जो अब बढ़कर 250 हो गयी है। इनके साथ 365 उप मण्डियां भी सम्बद्ध हैं। अब समग्र प्रदेश विनियमन के अन्तर्गत आ चुका है।

मण्डी विनियमन

मण्डियों में कृषि उपज के विपणन की कुल प्रक्रिया को व्यवस्थाबद्ध कर देना ही मण्डी विनियमन है। इस व्यवस्था के अन्तर्गत बिक्री योग्य कृषि जिन्सों की छनाई–सफाई और वर्गीकरण कराते हुए नीलामी द्वारा विक्री करायी जाती है। प्रत्येक किसान की सहमति से सौदा तय होता है तथा मीट्रिक प्रणाली से सही माप–तौल करा करके किसानों को विक्रय मूल्य का भुगतान तुरन्त कराया जाता है।

मण्डी विनियमन के मूल उद्देश्य

(1) परम्परागत मण्डियों मे प्रचलित कृषक–उत्पादन विक्रेताओं से वसूले जाने वाले विविध व्यापारिक खर्चों को कम करना।

(2) माप–तौल की गड़बड़ी को रोकना तथा इसके लिए मण्डी क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाले बाटों, मापों तथा तौल–माप के यंत्रों की सामयिक जांच व सत्यापन सुनिश्चित करना।

(3) कृषक हितों की रक्षा हेतु कृषकों के उचित प्रतिनिधित्व वाली मण्डी समितियों की स्थापना।

(4) मण्डी में आवश्यक सुख–सुविधायें उपलब्ध कराना।

(5) बिक्री के सम्बन्ध में होने वाले विवादों का न्यायपूर्ण समाधान करना।

(6) बेहतर भण्डारण सुविधायें उपलब्ध कराना।

(7) विक्रेता कृषक से होने वाली अनाधिकृत कटौतियों को रोकना।

(8) कृषकों के लिए बाजार में भावों आदि जैसी आवश्यक सूचनायें उपलब्ध कराना।

मण्डी समिति

कृषि उपज मण्डियों के कार्य संचालन हेतु सम्पूर्ण प्रदेश को मण्डी क्षेत्रों में बांटा गया है। प्रत्येक मण्डी क्षेत्र हेतु एक मण्डी समिति के गठन की व्यवस्था है। प्रत्येक मण्डी क्षेत्र के अन्तर्गत एक प्रधान मण्डी स्थल जहॉ पर कि समिति का कार्यालय स्थापित होता है, के अतिरिक्त आवश्यकतानुसार उप मण्डी स्थलों को भी घोषित किया गया है। मण्डी समिति का मुख्य कार्यकारी अधिकारी मण्डी समिति का सचिव होता है। मण्डी समिति तथा सभापति के समस्त अधिकार, कृत्य एवं कर्त्तव्य वर्तमान में जिलाधिकारी में निहित है किन्तु उनके द्वारा यह अधिकार उप जिलाधिकारी अथवा अपर जिलाधिकारी को प्रतिनिधानित किये गये हैं।

मण्डी समिति के मुख्य कर्त्तव्य एवं दायित्व

(1) कृषि उपज के क्रेता–विक्रेता के मध्य न्यायपूर्ण व्यवहार सुनिश्चित करना।
(2) बिक्री योग्य कृषि उपज का वर्गीकरण तथा नीलामी द्वारा बिक्री कराना।
(3) मीट्रिक प्रणाली से ही माप–तौल की व्यवस्था कराते हुए बिकी हुई उपज का तुरन्त भुगतान कराना।
(4) क्रेता–विक्रेता के लिए उपयोगी सूचनाओं का संकलन व प्रचार।
(5) क्रय–विक्रय की स्वस्थ परम्पराओं की स्थापना व मण्डी स्थलों में आवश्यक सुख–सुविधाओं की व्यवस्था सुनिश्चित करना।
(6) बिकी हुई कृषि उपज का तत्काल भुगतान सुनिश्चित कराना।
(7) किसी विवाद की स्थिति में न्यायपूर्ण समाधान के लिए मध्यस्थता करना।
(8) बाजार भावों तथा अन्य उपयोगी सूचनाओं का संग्रह और प्रचार–प्रसार करना।

(9) व्यापारियों तथा कृषकों के बीच विवाद एवं मतभेद होने पर मध्यस्थ की भूमिका निभाना तथा उनका निराकरण करना।

(10) मण्डी स्थलों के निर्माणार्थ भूमि अर्जन करना तथा निर्माण के नक्शे तैयार करने के साथ–साथ आय व व्यय का विधिवत् लेखा–जोखा रखना।

मण्डी परिषद

मण्डी समितियों के कार्य संचालन तथा उनकी विकास योजनाओं की निगरानी, नियंत्रण एवं मार्गदर्शन के लिए प्रदेश स्तर पर वर्ष 1973 में 'राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद' की स्थापना की गयी है। मण्डी परिषद समितियों में अधिनियम के प्राविधानों का लागू करने, तथा विभिन्न कल्याणकारी योजनायें लागू करने और उनकी निर्माण परियोजना के अनुसार निर्माण कार्य कराने की कार्यवाहियां सम्पादित करती है तथा अधिनियम के अन्तर्गत नये मण्डी क्षेत्रों/उपमण्डी स्थलों के विनियमन, निर्मित मण्डी स्थलों में व्यापार स्थानान्तरण, विनियमन हेतु निर्दिष्ट कृषि उत्पादों को अधिसूचित कराने जैसे महत्तवपूर्ण कार्यों के लिए समिति और शासन के बीच कड़ी के रूप में कार्य करती है।

मण्डी परिषद द्वारा प्रदेश की मण्डी समितियों के विभिन्न कार्यकलापों के स्थानीय पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण हेतु प्रदेश को 16 प्रशासनिक संभागीय कार्यालयों में विभक्त किया गया है जिनके कार्यालयाध्यक्ष के रूप में सम्भागीय उपनिदेशक (प्रशासन/विपणन) तैनात हैं। यह कार्यालय (1) मेरठ (2) आगरा (3) झांसी (4) इलाहाबाद (5) वाराणसी (6) गोरखपुर (7) लखनऊ (8) बरेली (9) मुरादाबाद (10) कानपुर (11) फैजाबाद (12) आजमगढ़ (13) मिर्जापुर (14) सहारनपुर (15) बस्ती (16) अलीगढ में स्थापित हैं।

मण्डी समितियों द्वारा अपने क्षेत्रों में मण्डी स्थल विकास के साथ–साथ विभिन्न निर्माण कार्य भी अपने संसाधनो से सम्पादित कराये जाते हैं। इन कार्यो को कराने के लिए निर्माण खण्डों एवं विद्युत यान्त्रिक खण्डों की स्थापना की गयी है। निर्माण खण्डों/विद्युत यांत्रिक खण्डों का कार्य संचालन क्षेत्रीय उपनिदेशक (निर्माण)/उपनिदेशक (विद्युत/यांत्रिक) की देख–रेख में सम्पादित होता है जो अभियन्त्रण शाखा के अधिकारी हैं। निर्माण खण्डों पर भी स्थानीय नियंत्रण संभागीय उपनिदेशक (प्रशासन/विपणन) का है। उपनिदेशक (निर्माण) के कार्यालय निम्नलिखित शहरों में स्थापित है :–

(1) मेरठ (2) गाजियाबाद (3) बुलन्दशहर (4) आगरा (5) अलीगढ़ (6) फिरोजाबाद (7) झांसी (8) इलाहाबाद (9) बांदा (10) वाराणसी (11) गोरखपुर (12) लखनऊ (13) गोण्डा (14) रायबरेली (15) सीतापुर (16) लखीमपुर खीरी (17) बरेली (18) पीलीभीत (19) शाहजहॉपुर (20) बदायूँ (21) मुरादाबाद (22) जे0 पी0 नगर (23) कानपुर नगर (24) रमाबाई नगर (25) फर्रूखाबाद (26) फैजाबाद (27)बहराइच (28) सुल्तानपुर (29) आजमगढ़ (30) मिर्जापुर (31) सहारनपुर (32) बस्ती (33) अनुरक्षण खण्ड, लखनऊ (34) हरदोई (35) जौनपुर (36) उरई (37) एटा

उपनिदेशक (विद्युत/यांत्रिक) के कार्यालय निम्नांकित शहरों में स्थापित हैं:– (1) गाजियाबाद (2) बरेली (3) लखनऊ (4) इलाहाबाद (5) गोरखपुर ।